



2025:RJ-JP:45531

[2025:RJ-JP:45531]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13571/2025

1. Ranjeet @ Fadka S/o Gulab, R/o Pangarh Ki Beri, Kherkhedi, Police Station Ganj, District Ajmer (At Present in Central Jail Ajmer)
2. Sethu Chita S/o Laxman, R/o Gol Kundiya Chauraha, Kherkhedi, Police Station Ganj, District Ajmer (At Present in Central Jail Ajmer)
3. Mohammad @ Japan S/o Munna, R/o Near Tejaji Ka Mandir, Kherkhedi, Police Station Ganj, District Ajmer (At Present in Central Jail Ajmer)
4. Islam @ Gabbar S/o Mukna, R/o Meetha Mera Kherkhedi, Police Station Ganj, District Ajmer. (At Present in Central Jail Ajmer)
5. Taskar Beg @ Govind S/o Chandan Beg, R/o Golkunda Chauraha, Police Station Ganj, District Ajmer (At Present in Central Jail Ajmer)

-----Petitioners

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

---

|                   |   |                                                                                         |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Rajesh Kumar Sharma, Adv.<br>Ms. Kamini Pareek, Adv.<br>Mr. Sarthak Choudhary, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Devi Singh, PP                                                                      |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**12/11/2025**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस



थाना गंज, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे दिनांक 06.10.2025 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने आहत ताराचंद के साथ मारपीट की, ताराचंद के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में चिकित्सक ने यह राय दी है कि वे प्राणघातक नहीं हैं, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आकर आहत ताराचंद के साथ डंडे से मारपीट की और उसके चोटें पहुंचायीं, डंडे से सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो सकती थी। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम नहीं लिखा है, परिवादी ताराचंद ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में यह बताया है कि जिन व्यक्तियों ने घटना कारित की, उनके नाम वह नहीं जानता। महेन्द्र तथा लक्ष्मण द्वारा नाम जानने के आधार पर इस साक्षी ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में अभियुक्तगण मोहम्मद, ईस्लाम,



सेतु, गोविन्द व रणजीत का नाम बताया है। आहत ताराचंद के शरीर पर 7 चोटें आना बताया गया है, जिनमें से उसके सिर पर आयी चोट संख्या 1 सामान्य प्रकृति की होना पायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 06.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त 1. रणजीत उर्फ फड़का पुत्र गुलाब 2. सेतु चीता पुत्र लक्ष्मण 3. मोहम्मद उर्फ जापान पुत्र मुन्ना 4. ईस्लाम उर्फ गब्बर पुत्र मुकना 5. तस्कर बेग उर्फ गोविन्द पुत्र चंदन बेग की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J